न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **स्वत्व वाद सं0-59/18**
अवर न्यायाधीश **cis 59-18**
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** **दिनांक 25.01.2024**

दिनांकः 25.01.24 वाद पुकारा गया । उभय पक्षों की हाजिरी है मामले में प्रतिवादी सं0 1 ता0 3 की तरफ से आवेदन दिया गया कि मामले में प्रतिवादी सं0 1 ता0 3 दिनांक 19.12.2022 को वकालतन हाजिर हुए व दिनांक 1.06.2023 को लिखित बयान दिए चूंकि प्रतिवादी सं0 1 की तबीयत खराब हो गयी थी इसलिए बयान तहरीरी दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए बयान को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

प्रस्तुत मामले में आवेदन का वादी द्वारा मौखिक विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। मामले में प्रतिवादीगण 1 ता0 3 ने अपने आवेदन में खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने छः महीने विलंब से आवेदन दिया है चूंकि न्यायहित में उभय पक्षों को अवसर देना आवश्यक है अतः तीन हजार रुपये खर्चे जो मोतिहारी न्यायालय के नजारत में जमा किया जाएगा। प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा खर्चा जमा होने के पश्चात लिखित कथन को भी स्वीकृत किया जाएगा । वाद दिनांक ....वास्ते साक्ष्य।

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।